न्यायालय जिला कलक्टर,बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी—श्री शिवप्रसाद एम.नकाते आई.ए.एस.

निगरानी संख्या 09/2015

प्रार्थी
पुष्पादेवी पत्नि ताराचन्द जाति सुथार निवासी मोकलसर तहसील,सिवाना

बनाम्

अप्रार्थीगण
1.ग्राम पंचायत मोकलसर जरिये सरपंच ग्राम पंचायत मोकलसर तहसील सिवाना
2.मनसुखसिंह पुत्र दीपसिंह जति राजपुत निवासी मोकलसर तहसील सिवाना
3.सारिका देवी पत्नि सुजाराम जाति सुथार निवासी मोकलसर तहसील,सिवाना

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 विरूद्ध निरस्त करने पट्टा संख्या 35 दिनांक 06.12.2012 जो ग्राम पंचायत,मोकलसर द्वारा अप्रार्थी संख्या 02 के नाम जारी किया गया।

उपस्थितः—1.श्री धनराज जोशी अधिवक्ता प्रार्थीनी की ओर से।
2.अप्रार्थी संख्या 01 अनुपस्थित।
3.अप्रार्थी संख्या 02 व 03 एक तरफा

निर्णय दिनांक 15.11.2017

1. संक्षेप में प्रार्थीनी की निगरानी के तथ्य इस प्रकार है कि अप्रार्थी संख्या 02 मनसुखसिंह ने सरपंच ग्राम पंचायत मोकलसर के समक्ष एक आवेदन पत्र इस आशय का पेश किया कि ग्राम पंचायत मोकलसर की आबादी भूमि में रहवास हेतु विकय विलेख प्राप्त करना चाहता हूँ। इसलिये नियमानुसार भूखण्ड का विकय विलेख प्रदान कराया जावे। इस पर ग्राम पंचायत मोकलसर ने पत्रावली कायम कर भूखण्ड पर अप्रार्थी संख्या 02 का पुराना कब्जा होना बताते हुए नियम 157 (ख)के तहत 200/—वसूल कर पट्टा संख्या 35 दिनांक 06.12.2012 को जारी किया। प्रार्थीनी का यह कथन है कि उसके स्वामित्व एवं आधिपत्य का एक पंजीबद्ध भूखण्ड के उतर दिशा में चल रहे 20 गज की सार्वजनिक गली का अप्रार्थी संख्या 02 को नियम विरूद्ध पट्टा जारी किया गया। प्रार्थीनी ने इस पट्टा विलेख की भूमि को सार्वजनिक गली की भूमि होना एंव नियम 145 से 157 के विरूद्ध जारी होना बताते हुए पट्टा को खारिज करने हेतु यह निगरानी धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम के तहत हमारे समक्ष पेश की है।
2. हमने निगरानी दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को कारण बताओ जारी किये एंव ग्राम पंचायत मोकलसर से पट्टा से सम्बन्धित रिकॉर्ड तलब किया।

जिला कलक्टर
बाड़मेर

3. अप्रार्थी संख्या 03 की ओर से अधिवक्ता श्री राजेश विश्नोई हाजिर आये जिन्हे जवाब हेतु पर्याप्त अवसर दिये जाने के बावजूद जवाब पेश नहीं किया,फलस्वरूप अप्रार्थीनी संख्या 03 का जवाब बन्द किया गया।

4. वक्त बहस अप्रार्थीनी संख्या 03 के अधिवक्ता अनुपस्थित रहे। प्रार्थी के अधिवक्ता की बहस सुनी। प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क है कि प्राथीर्नी के स्वामित्व व आधिपत्य का ग्राम पंचायत मोकलसर की आबादी भूमि में पूर्व पश्चिम 80 फीट एंव उतर दक्षिण 40 फीट का भूखण्ड जिसके पाड़ोस पूर्व में बादरमल का भूखण्ड,पश्चिम में आम रास्ता एंव दरवाजा,उतर में सार्वजनिक गली 20 गज एंव दक्षिण में सरेमल पुत्र जेरूपाजी का मकान आया हुआ है। यह भूखण्ड दीपचन्द के पुत्र जयन्तीलाल ने जरिये ईकरारनामा दिनांक 11.01.2015 को प्रार्थीनी के पति को हस्तांतरित किया था, जिस पर प्रार्थीनी के पति का तालाबन्द आहता एंव एक टांका बना हुआ है। ईकरारनामे के आधार प्रार्थीनी ने जयन्तीलाल की ओर से ताराचन्द को दिये गये मुख्तयारनामा के आधार पर ताराचन्द पुत्र नरसाराम द्वारा उक्त भूखण्ड जरिये पंजीबद्ध विक्रय पत्र दिनांक 10.11.2014 को प्रार्थीनी के नाम निष्पादित किया गया। प्रार्थीनी के भूखण्ड की उतर दिशा में चल रही 20 गज की सार्वजनिक गली का अप्रार्थी संख्या 02 को पट्टा जारी किया गया है, जबकि ग्राम पंचायत को सार्वजनिक मार्ग की भूमि पर पट्टा जारी करने का क्षेत्राधिकार नहीं है। उन्होने तर्क दिया कि ग्राम पंचायत मोकलसर ने पट्टा जारी करने से पूर्व राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 145 से 157 की कोई पालना नहीं की गई है। ग्राम पंचायत द्वारा कायम की गई मिसल में पट्टा प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र,निरीक्षण, आपतिया आमंत्रित करने की उद्घोषणा व व आम सभा की बैठक कार्यवाही में तारीख का कोई उल्लेख नहीं है। मौके पर अप्रार्थी संख्या 02 का कब्जा कभी नहीं रहा है और अप्रार्थी का उक्त भूमि पर कोई रहवास नहीं है। अप्रार्थी संख्या 02 द्वारा पट्टा जारी करने हेतु सरपंच ग्राम पंचायत मोकलसर को प्रस्तुत आवेदन पत्र पर ग्राम मोकलसर ने नियम 157 (ख)पुराने गृहो का विनियमितिकरण के तहत पट्टा संख्या 35 जारी किया है। इस नियम के तहत 50 वर्षो के दौरान बने पुराने मकानों हेतु पट्टा जारी करने का प्रावधान है। जबकि मौके पर सार्वजनिक गली है जिस पर गलत रूप से पट्टा जारी किया गया है इसलिये अप्रार्थी संख्या 02 के पक्ष में जारी किया गया पट्टा अवैध और शून्य होने से खारिज फरमाया जाए।

5. हमने प्रार्थीनी के विद्वान अधिवक्ता के तर्को पर मनन किया। ग्राम पंचायत मोकलसर से प्राप्त पट्टा से सम्बन्धित रिकॉर्ड का ध्यानपूर्वक अवलोकन कियां। ग्राम पंचायत मोकलसर ने अप्रार्थी संख्या 02 के हक में 3600 वर्ग फीट का भूखण्ड विनियमित कर भूमि की कीमत रूपये 200/–वसूली कर नियम 157(ख) के तहत पट्टा संख्या 35 जारी किया है, जिसे खारिज करने हेतु प्रार्थी ने यह निगरानी धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम के तहत हमारे समक्ष पेश की है। अप्रार्थी ने सरपंच ग्राम पंचायत मोकलसर को पट्टा जारी करने हेतु आवेदन

जिला कलेक्टर
बाड़मेर

पत्र पेश किया। यह आवेदन पत्र किस तारीख को लिखा गया व किस तारीख को सरपंच के समक्ष पेश किया गया है,प्रस्तुतीकरण तारीख अंकित नहीं है।राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1996 के नियम 145 से 157 का अवलोकन किया गया। नियम 146 के तहत 3 पंचों की समिति प्रतिनियुक्त कर स्थल रिपोर्ट मंगवाने का प्रावधान है। जो इस नियम के उप नियम 3 के सब क्लोज क से ड़ में वर्णित बिन्दुओं पर अपनी रिपोर्ट देगी। मौका कमेटी में किन वार्ड पंचो को नियुक्त किया वह आदेशिका में नहीं है, मौका कब देखा गया, वह दिनांक अंकित नहीं है। पत्रावली पर मौका रिपोर्ट अवश्य उपलब्ध है, मगर मौका निरीक्षण रिपोर्ट में अप्रार्थी का मकान बना हुआ है अथवा नहीं? इसका अंकन मौका रिपोर्ट में नहीं किया गया है।यह पट्टा ग्राम पंचायत मोकलसर ने नियम 157(ख) पुराने गृहों का विनियमितिकरण के तहत जारी किया है। इन नियमों के लागू होने की तिथि को 50 वर्षो के दौरान बने पुराने मकाने हेतु 200/– लेकर पट्टा जारी करने का प्रावधान है। जबकि पत्रावली पर 50 वर्षो से मकान निर्मित होने का कोई साक्ष्य नहीं है। पत्रावली पर उपलब्ध नजरी नक्शा अनुसार ग्राम पंचायत मोकलसर द्वरा जारी पटटा ग्राम पंचायत मोकलसर के आबादी में रास्ते की भूमि पर जारी करना प्रकट है जिससे जन मानस को आने जाने में कठिनाई हो सकती है। पंचायत बिना नाम की रास्ते की भूमि का बेचान/आवंटन नहीं कर सकती। सार्वजनिक रास्ते की भूमि पर पंचायत का कोई हक नहीं होता है। जिससे ग्राम पंचायत द्वारा जारी पट्टा को न्यायोचित नहीं ठहराया जा सकता। इस प्रकार इस मामले में ग्राम पंचायत ने बिना कब्जे एंव जनहित की सुविधाओं को नजर अंदाज कर रास्ते की भूमि को शामिल करते हुए नियम 146 एंव 157(ख) के प्रावधानो के विरूद्ध पट्टा जारी किया गया है, जो गलत एंव नियम विरूद्ध होने से खारिज करने योग्य है।

6. उपरोक्त विवेचन के फलस्वरूप प्रार्थी की निगरानी स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत मोकलसर द्वारा अप्रार्थी संख्या 02 मनसुखसिंह के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 35 दिनांक 06.12.2012 खारिज किया जाता है।

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

(शिवप्रसाद एम.नकाते)
जिला कलक्टर बाड़मेर
जिला कलक्टर
बाड़मेर

निर्णय आज दिनांक 15.11.2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

जिला कलक्टर बाड़मेर
जिला कलक्टर
बाड़मेर